

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(मुख्य अभियंता (वाणिज्य))

क्रमांक: जेपीडी/मुअ(वाणिज्य)/सी-1/एफ4(251)/पार्ट-iv/प्रे.150 दिनांक 24.1.07

: आदेश :

विषय:- कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान स्वीकार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समन्वय समिति ने अपनी 100 वीं बैठक दिनांक 18.1.2007 में विचार विमर्श किया। तदानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि "कृषि सेवा (एजी/एलटी-4)" के अन्तर्गत आने वाले सभी उपभोक्ताओं को यदि 24 घंटे बिजली मिल रही है तो विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित "टैरिफ फार सप्लाई आफ इलैक्ट्रिसिटी-2004" के अनुसार बिल जारी किये जायें और बिल की राशि वसूल की जाये।

आज्ञा से

M. M. S. S. S. 24.1.07
(एन.एम.सरीन)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता/उप मुख्य अभियन्ता(ओ.एण्ड एम/एम एम/) जयपुर डिस्काम ,जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियत्रक जयपुर डिस्काम ,जयपुर
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विजीलेन्स) जयपुर डिस्काम ,जयपुर
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी जयपुर डिस्काम ,जयपुर
5. मुख्य लेखाधिकारी जयपुर डिस्काम ,जयपुर
6. उप मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता (पावर), रीको जयपुर
7. अधीक्षण अभियन्ता (), जयपुर डिस्काम _____
8. सचिव जयपुर डिस्काम, जयपुर
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी /लेखाधिकारी /सहायक लेखाधिकारी () _____
10. अधिशाषी अभियन्ता() जयपुर डिस्काम _____
11. अधिशाषी अभियन्ता () जयपुर डिस्काम _____को उनके क्षेत्राधिकार वाले सहायक अभियन्ता /कनिष्ठ अभियन्ता/उप खण्डीय लेखाकार /लेखाकार के लिये 15 अतिरिक्त प्रतियों के साथ ।
12. अधिशाषी अभियन्ता (ग्रीवेन्स) जयपुर डिस्काम ,जयपुर
13. कम्पनी सचिव जयपुर डिस्काम /राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम जयपुर निदेशक मण्डल /समन्वय समिति की दिनांक _____को आयोजित _____बैठक के निर्णय बिन्दु _____ के अनुसार
14. निजी सचिव - माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान जयपुर
15. निजी सचिव - ऊर्जा सचिव राजस्थान सरकार जयपुर ।
16. तकनीकी सहायक / निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर